

प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायाधीश— मऊ।

आदेश सं०- 42

दिनांक: 22.04.2024


आदेश

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या : 7356/ Main(P)/ Admin (A-3); इलाहाबाद : दिनांकित 31.05.2019 के अनुपालन में महामंत्री सिविल कोर्ट सेन्ट्रल बार एसोसिएशन, मऊ द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि माह मई व जून-2024 में न्यायालय/ कार्यालय का कार्यावधि समय पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक कर दिया जाए।

अतः माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 7356/Main(P)/Admin(A-3); इलाहाबाद : दिनांकित 31.05.2019 के अनुपालन में जनपद न्यायालय, मऊ माह मई व जून 2024 में प्रातःकालीन कार्यालय का समय पूर्वाह्न 06.30 से अपराह्न 01.30 बजे तक तथा न्यायालय का समय पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे का निर्धारित किया जाता है। भोजनावकाश पूर्वाह्न 10.30 बजे से 11.00 बजे का होगा।

उक्त आदेश की सूचना माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद प्रेषित की जाए तथा जनपद न्यायालय मऊ की वेबसाइट पर अपलोड एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए।


सम्बन्धित सूचित हों।

  
(रामेश्वर)  
जनपद न्यायाधीश  
मऊ।

पत्र सं. /स्थानीय, दिनांक: 2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, मऊ।
2. पुलिस अधीक्षक, मऊ।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, मऊ।
4. अधीक्षक जिला कारागार, मऊ।
5. जिला सूचना अधिकारी, मऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना जनपद के समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।
6. अध्यक्ष / महामंत्री सिविल कोर्ट सेन्ट्रल बार एसोसिएशन, मऊ।
7. संयुक्त निदेशक अभियोजन, मऊ /ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, मऊ।
8. जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल एवं फौजदारी), मऊ।

  
(रामेश्वर)  
जनपद न्यायाधीश  
मऊ।